



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 01.07.2026

- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल 02 प्लास, 04 रिंच, 02 पेचकस, 01 पाना रिन्च, 01 हथौड़ी, 01 छैनी, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, श्रेशर का पीटीओ साफ्ट, लोहे की राड, लोहे का इंगल 04 बन्डल एल्मोनियम तार, लोहे का पोल एंगल व छोटा एंगल व 02 पोल अर्थिंग सरिया व ट्रेक्टर की टोपलिंग आदि बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में चोरी/नकबजनी के अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 30.06.2026 को वादी रामप्रकाश नायक पुत्र कन्हई सिंह निवासी ग्राम सिथरा रामपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 28.06.2026 की रात्रि में मेरा ग्राम सिथरा रामपुर में बने शिव मन्दिर परिसर में रखे मेरे सामान दो प्लास, चार रिंच, दो पेचकस, एक पाना रिन्च, एक हथौड़ी, एक छैनी, एक इलेक्ट्रिक कांटा, श्रेशर का पीटीओ साफ्ट, लोहे की राड, लोहे का इंगल चार बन्डल एल्मोनियम तार, लोहे का पोल एंगल व छोटा एंगल व दो पोल अर्थिंग सरिया व ट्रेक्टर की टोपलिंग को मेरे ही गांव के रामबिहारी पुत्र स्व0 मर्दान सिंह निवासी सिथरा रामपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ने चोरी कर लिया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम रामबिहारी पुत्र स्व0 मर्दान सिंह निवासी सिथरा रामपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामित आरोपी अभियुक्त रामबिहारी पुत्र स्व0 मर्दान सिंह निवासी सिथरा रामपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ के क्रम में आरोपी अभियुक्त की निशादेही पर चोरी के माल को सिथरा रामपुर से सिथरा बुजुर्ग के बीच मठिया से करीब 50 कदम पहले व सिथरा रामपुर गाँव से पहले बम्बा के किनारे झाडियों से दो अलग- अलग जगहों से 02 प्लास, 04 रिंच, 02 पेचकस, 01 पाना रिन्च, 01 हथौड़ी, 01 छैनी, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, श्रेशर का पीटीओ साफ्ट, लोहे की राड, लोहे का इंगल 04 बन्डल एल्मोनियम तार, लोहे का पोल एंगल व छोटा एंगल व दो पोल अर्थिंग सरिया व ट्रेक्टर की टोपलिंग बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रामबिहारी उपरोक्त को मौके से दिनांक 30.06.2026 को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिफ्तारशुदा अभियुक्त रामबिहारी उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. रामबिहारी उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र स्व0 मर्दान सिंह निवासी ग्राम सिथरा रामपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

1. 02 प्लास, 04 रिंच, 02 पेचकस, 01 पाना रिन्च, 01 हथौडी, 01 छैनी, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, थ्रेशर का पीटीओ साफ्ट, लोहे की राड, लोहे का इंगल, 04 बन्डल एल्मोनियम तार, लोहे का पोल एंगल व छोटा एंगल व 02 पोल अर्थिंग सरिया व ट्रेक्टर की टोपलिंग आदि ।

अभियुक्त रामबिहारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 226/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री वीरपाल सिंह
2. का0 1305 देवेश कुमार
3. रि0का0 सुशान्त कुमार
4. रि0का0 1302 धनंजय सारस्वत